File No.2(6)R/77/Vol.VII

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान — 304501

फा.सं. 2(6)आर / 77 / खण्ड-VII /

दिनांक 30.06.2021

पृष्ठांकन

उप निदेशक (तकनीकी सेवा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक TS-19(12)/2016-Estt.IV दिनांक 21.06.2021 जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्यरत तकनीकी कर्मचारी जिन्होने पुराने तकनीकी सेवा नियमों को स्वीकार किया हुआ है को टी—1—3 एवं टी—5 ग्रेड में 3 अग्रीम वेतन वृद्धिं का लाभ प्रदान करने के संबंध में प्राप्त हुआ है। अतः परिषद से प्राप्त आदेश संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि जो भी कर्मचारी इस आदेश से लाभान्वित होते है वे अपना प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी महोदय को प्रेषित करे।

हस्ता० / – (नीरज तँवर) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण : 1. संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष / विभाग / अनुभाग प्रभारी एवं सभी उपकेन्द्रों के प्रभारियों को उनके विभाग / अनुभाग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित है।

- 2. सभी सूचना पट्ट।
- 3. प्रभारी ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH कृषि भवन, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110 001 Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi – 110 001

F.No. TS-19(12)/2016-Estt.IV

Dated the 21st June, 2021

To

The Directors/Project Directors of ICAR Research Institutes /Project Directorates/National Research Centres/Bureaux/ATARIs

Subject: Granting of advance increments to technical employees of ICAR who opted for Old TSR – reg.

Sir/Madam,

In Continuation to Council's letter No. 19(20)/96-Estt.IV dated 25.9.1997 and with the approval of the Hon'ble Governing Body as taken in its 239th meeting held on 14.2.2017, the benefit of Note to Rule 6.2 of Old TSR at the Grade T-1-3 and T-5 may be extended to the technical personnel who opted for Old TSR.

The provision for grant of advance increments to the maximum of three to the technical personnel who opted for Old TSR will remain in force only upto 13.2.2017, since the Governing Body has approved to amend the 'Note' under Rule 6.2 of Old TSR to the extent that grant of advance increment(s) to the maximum of three ceases to exist henceforth w.e.f. 14.2.2017, the date of approval of Governing Body.

Consequential benefits arising out of grant of advance increments may, therefore, be extended to the technical personnel who opted for Old TSR.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

ssas G-Ma

(Suparna Dasgupta) Deputy Director (TS)

Copy to:-

PD, DKMA for uploading on the ICAR's website.